



2026:AHC:166888

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27684 सन् 2026**

जाहिद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : रूपेंद्र कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 64**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा**

1. राज्य की ओर से विद्वान संक्षिप्तधारक द्वारा प्रस्तुत शव-परीक्षण रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर ली जाती है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अनुपम आनंद, राज्य-विपक्षी पक्षकार की ओर से विद्वान संक्षिप्तधारक को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को वाद अपराध संख्या 164 सन् 2026, धारा 108, 115(2), 85 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना हयातनगर,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनपद संभल में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का पति है तथा उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। घटना दिनांक 26.06.2026 को घटित होना कथित है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.06.2026 को दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुआ अत्यधिक विलंब अभियोजन के वाद के लिए घातक है। शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी के कारण दम घुटना है। आगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, मृतका के 17 वर्षीय पुत्र के कथन तथा विवेचना के दौरान संकलित सामग्री के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं हैं। आवेदक ने किसी भी प्रकार से मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया। वैवाहिक कलह एवं उत्पीड़न के मात्र आरोप, दुष्प्रेरण के किसी सकारात्मक कृत्य, जानबूझकर सहायता अथवा ऐसे निकटवर्ती आचरण के अभाव में, जो मृतका को आत्महत्या करने के लिए विवश करता हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध गठित नहीं करते हैं। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 654 सन् 2017, दिनांक 03.10.2024 को निर्णीत तथा अभिनव मोहन देलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2177-2185 सन् 2024, दिनांक 18.08.2025 को निर्णीत वादों में पारित निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक दिनांक 17.07.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान संक्षिप्तधारक ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात्, इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया यह राय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी के कारण दम घुटना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, मृतका के 17 वर्षीय पुत्र के कथन तथा विवेचना के दौरान संकलित सामग्री के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं हैं। आवेदक के लिए ऐसा कोई निकटवर्ती अथवा प्रत्यक्ष कृत्य आरोपित नहीं है, जिसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा, षड्यंत्र अथवा जानबूझकर सहायता के रूप में माना जा सके। इसके अतिरिक्त, आवेदक लगभग तेईस दिनों से निरुद्ध है तथा आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और राज्य की ओर से ऐसी कोई युक्तिसंगत आशंका प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह या तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा विचारण में विलंब करेगा अथवा साक्षी को भयभीत करेगा। अतः वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. उपर्युक्त वाद में सम्मिलित आवेदक- जाहिद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह :

(i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; तथा,

(iii) अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**10 अगस्त, 2026**

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस.के.टी./-

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।